



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 95 वर्ष 2026

अदि शक्ति देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: शिव सागर सिंह, सूरज पांडेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शिव सागर सिंह और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत है कि उसने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया था, तथापि ऐसा हुआ कि यद्यपि वह चयनित होने का दावा करती है, उसे पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई। 05.07.2025 के नियुक्ति आदेश के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता ने रिट - ए संख्या 7562 वर्ष 2025 दायर की, जिसे निस्तारित करते हुए रिट याचिकाकर्ता को आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, जिसे छह सप्ताह के भीतर निस्तारित करने का आदेश था। इसके पश्चात् 10.12.2025 को आक्षेपित आदेश पारित कर रिट याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द की गई। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने पहले ही अपील प्रस्तुत की है, किन्तु अब रिट याचिकाकर्ता को आशंका है कि उक्त पद किसी अन्य को भर दिया जाएगा।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता, दूसरी ओर, प्रस्तुत करते हैं कि जो भी हो, यदि रिट याचिकाकर्ता की अपील उसके पक्ष में निस्तारित होती है, तो इसके स्वाभाविक परिणाम लागू होंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. बार में प्रस्तुत दलीलों को सुनने एवं अभिलेख को देखने के पश्चात्, न्यायालय के मतानुसार, रिट याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द करने के विरुद्ध अपील निस्तारित होने पर, उसके लाभ स्पष्ट रूप से रिट याचिकाकर्ता को प्राप्त होंगे।
5. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
6. यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि अपील, योग्य होने पर, प्रस्तुत की जाती है, तो उसे यथासंभव शीघ्रता से निस्तारित किया जाएगा।

जनवरी 19, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।